फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय उप खाद्य अधिकारी जयपुर डिविजन

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	09/01/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1,3 द्वारा अवकाश का निवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता को अवकाश दिया जाता है। पत्रावली तारीख पर प्रार्थी अधिवक्ता के प्रस्तुत नहीं होने पर प्रार्थी को बिना अवसर पत्रावली, प्रार्थी अवकाश दावा प्रतिवादीगण 1,3 को 06/02/24 को पेश हो। उप खाद्य अधिकारी जयपुर डिविजन
	06/02/24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण का अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने कारण कई बार बार अवसर सावादी गई। बार बार आदेश उपरान्त भी वादीगण का अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः वाद वादीगण अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 'पत्रावली [illegible] अर्थ नम्बर से [illegible] अंकित करवाकर [illegible] उप खाद्य अधिकारी जयपुर डिविजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mal
Date: 2024.02.22 17:3
Reason: SelfAttested